

**रेल संपत्ति (वि0वि0क0) अधिनियम के अंतर्गत माह- अक्टूबर-2013  
मे पंजीत मामले**

माह	हल किये गये मामले	बरामद संपत्ति की कीमत	गिरफ्तार		
			बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
अक्टूबर-2013	30	98610	45	00	00

**रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह अक्टूबर-2013**

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
अक्टूबर-2013	27	30	106400	98610	45	00	00

**बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह अक्टूबर 2013**

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
अक्टूबर-2013	01	02	67900	70600	6	00	00

**रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह अक्टूबर-2013**

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
अक्टूबर-2013	26	28	38500	28010	39	00	00

**रे.सु.ब. द्वारा माह अक्टूबर 2013के दौरान  
किये गये अच्छे कार्यों ब्यौरा**

01. दिनांक 02.10.2013 को रेलवे स्टेशन भोपाल पर सउनि आवेन्द्र प्रताप सिंह को दौराने गस्त भोपाल स्टेशन पर एक लडका उम्र करीबन 15 साल को प्लेटफार्म पर अकेला घूमता दिखाई देने पर सउनि ने लडके से पूछताछ किया तो उसने बताया कि वह घर से अपने परिजनो को बिना बताये आया है पुनः पूछताछ करने पर लडके ने अपना नाम तुषार उम्र 15 साल निवासी महाराष्ट्र का निवासी होना बताया तथा तथा परिजनो से संपर्क कर लडके को समक्ष गवाहन बिना किसी शिकवा शिकायत के सुपुर्द किया गया है।
02. दिनांक 02.10.13 को प्लेटफार्म नं0 04 बुकिंग गेट के पास लगभग 08 माह की एक लावारिस बच्ची की सूचना पर उप निरी0/कोटा पोस्ट आर0के0 यादव मय स्टाफ बुकिंग गेट पर पहुँचे तथा बच्ची के परिजन नही मिलने पर उदघोशणा करवाई गई परन्तु कोई संरक्षक नही आने पर बच्ची को थाने लाकर एसएचओ/जीआरपी, स्टेशन मस्टर व चाइल्ड लाईन संरक्षक को सूचित किया गया। बाद निरीक्षक कोटा पोस्ट, एसएस एस0के0 गौतम, चाइल्ड लाईन काउंसलर अल्का अजमेरा व महेन्द्र कुशवाह, जीआरपी कौ0 भोलाराम द्वारा सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही कर सुपुर्दगीनाम तैयार किया गया तथा बच्ची को स्वस्थ हालत में चाइल्ड लाईन कोटा काउंसलर अल्का अजमेरा व महेन्द्र कुशवाह के सुपुर्द किया।
03. दिनांक 04.10.2013 को रेलवे स्टेशन भोपाल पर सउनि आवेन्द्र प्रताप सिंह को दौराने गस्त भोपाल स्टेशन पर एक लडका उम्र करीबन 17 साल को प्लेटफार्म नंबर 01 पर अकेला घूमता दिखाई देने पर स.उ.नि. ने लडके से पूछताछ किया तो उसने बताया कि वह घर से अपने परिजनो को बिना बताये आया है। पुनः पूछताछ करने पर लडके ने अपना नाम फैजान खान उम्र 17 साल निवासी नवी करीम, न्यू देहली का निवासी होना बताया। तथा परिजनो से संपर्क कर लडके को समक्ष गवाहन बिना किसी शिकवा शिकायत के सुपुर्द किया गया है।
04. दिनांक 14.10.13 को सउनि/कोटा पोस्ट बीरबल सिंह को कोटा स्टेशन के प्लेटफार्म नं0 04 पर एक 12 वर्ष का बच्चा भटकते हुए मिला। उसने अपना नाम राहुल उम्र-12 वर्ष बताया। उसने बताया कि वह अपनी माँ के साथ बयाना से जयपुर जाने के लिए अवध एक्स0 में बैठा था उसकी माँ पानी लेने के लिए चली गई और वह अपनी माँ से बिछड़ गया। बाद सउनि/कोटा पोस्ट बीरबल सिंह, जीआरपी आरक्षक मोहन लाल एवं उप स्टेशन अधीक्षक एस के माथुर द्वारा बच्चे को स्वस्थ हालत में चाइल्ड लाईन कोटा काउंसलर महेन्द्र कुशवाह के सुपुर्द किया।
05. दिनांक 26.10.2013 को उपनिरीक्षक रामबाबू सिंह, आरक्षक राकेश कुमार मिश्रा इटारसी स्टेशन तथा मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक इटारसी स्टेशन के साथ संयुक्त चैकिंग के दौरान गाड़ी संख्या 12722 दक्षिण एक्सप्रेस के ब्रेकवान एससी 12709 में मैनीफेस्टों में दर्शित कुल 104 पैकेज वजन 980 किग्रा के स्थान पर कुल 3237 किग्रा पाया गया। उक्त ब्रेकवान की क्षमता 01 टन है। पार्टी पर 1,19,000/-रु जुर्माना किया गया। पार्टी द्वारा जुर्माना की राशि जमा करने पर मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक द्वारा अनलोड किये गये सभी पार्सलों को पार्टी के प्रतिनिधी के तावे में दिया गया है।
06. दिनांक 28.10.2013 को गाड़ी संख्या-13239 के कोच कण्डेक्टर ए0के0 शर्मा मुख्यालय/मथुरा को कोच नम्बर एस/11 की बर्थ नम्बर-39 पर एक लाल रंग का लेडिज बैग लावारिस हालत मिलने पर रे0सु0ब0 अनुरक्षण पार्टी को सूचित किया। रे0सु0ब0 अनुरक्षण पार्टी इन्वार्ज प्रधान आरक्षक एस0सी0 शुक्ला तैनाती कोटा पोस्ट द्वारा वर्णित बैग को मय सामान पार्सल कार्यालय कोटा के एल0पी0ओ0 में जमा कराया जिसका लॉट नं0-161/1 दिनांक 29.10.2013 है।
07. दिनांक 29.10.2013 को उपनिरीक्षक रामबाबू सिंह, प्र.आर. मनोज कुमार गौर इटारसी स्टेशन तथा मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक इटारसी स्टेशन के साथ संयुक्त चैकिंग के दौरान गाड़ी संख्या 12616 जीटी एक्सप्रेस के फ्रन्ट स्ै.06718 में माल परिवहन की क्षमता 1000 किग्रा की होती है जबकि पार्टी द्वारा मैनीफेस्ट में दर्शित 256 पैकेज वजन 1801 किग्रा के स्थान पर कुल 259 पार्सल वजन 2721 किग्रा निकला। पार्टी पर 195869/-रु जुर्माना किया गया। पार्टी द्वारा जुर्माना की राशि जमा करने पर मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक द्वारा अनलोड किये गये सभी पार्सलों को पार्टी के प्रतिनिधी के तावे में दिया गया है।

08. इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 379 व्यक्तियों के विरुद्ध **तम्बाकु अधिनियम** (छतवीपइपजपवद वी कअमतजपेमउमदज दक तमहनसंजपवद वी जतंकमए चतवकनबजपवदए ेनचघसल दक कपेजतपइनजपवद खजए 2003दू के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 75,800/-रु. का जुर्माना वसूल किया गया।

रेल अधिनियम के तहत माह अक्टूबर-2013 में की गई कार्यवाही का विवरण :-

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना रु. में
137	2832	1230109
138	9707	3743740
139	00	00
141	213	142550
142	00	00
143	05	00
144	1046	421855
145	538	78690
146	11	3400
147	1244	201100
153	04	00
154	13	51725
155	701	88600
156	291	31300
157	00	00
159	879	79800

160	10	1000
161	00	00
162	611	17635
163	00	00
164	02	00
165	00	00
166	00	00
167	59	4600
172	01	00
173	00	00
174	12	41000
175	00	00
176	00	00
180-जी	00	00
<b>कुल योग</b>	<b>18179</b>	<b>6137104</b>